(भारत के राजपत्र के भाग ।। खण्ड 3 उपखण्ड (।) में प्रकाशनार्थ)

सं०पत्र० ।(16)-संस्था०।।।(क)/75

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1976

1897(शक)

अधिसूचना

सा०आ० संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जी ने मूल नियमावली में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात्:-

1. (1) ये नियम मूल (पहला संशोधन) नियमावली, 1976 कहलाएंगे ।

(2) ये जनवरी, 1973 की पहली तारीख से प्रभावी हुए माने जाएंगे ।

2. मूल नियमावली में, नियम 30 की अनुसूची में प्रविष्टि (13) के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

''(13) डाक और तार विभाग में उच्चतर प्रवरण ग्रेड । पोस्ट मास्टरों के पद, जब डाक घरों के सहायक अधीक्षक द्वारा धारण किए जाएं ।''

पी.एस. वेन्कटेस्वरन

(पी०एस० वेंकटेश्वरन)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

नई दिल्ली

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस अधिसूचना द्वारा जो संशोधन किया जा रहा है वह 26-4-75 को जारी की गई मूल(तीसरा संशोधन) नियमावली, 1975 के माध्यम से पहले ही कर दिया गया था। यह भारत के राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभाव में आया था। इस संशोधन की आवश्यकता तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर डाकघरों के सहायक अधीक्षक और एच एस जी-। पोस्ट मास्टरों के वेतनमानों के संशोधन के कारण हुई, जो 1-1-73 से प्रभाव में आए थे । एतद्नुसार, यह आवश्यक था कि उपर्युक्त संशोधन 1-1-73 से प्रभाव में आए जोकि वेतनमानों के संशोधन की तारीख है । वर्तमान संशोधन इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है । 1-1-73 से इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी सरकारी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

भारत के सभी मंत्रालय/विभागों को एक-एक प्रति ।

पी एस निम

(पी०एस० निम)

अवर सचिव, भारत सरकार